

01.12.2021

उगावळी आज कोर्ट कैम्प शिविर स्मरती
में थ्री डेस विपक्षीगण उपस्थित । विपक्षीगण द्वारा
उवाच पेश कर कथन किया कि विवादिन /वाक्यार्थ
भारतीय विपक्षीगण द्वारा कृषि कार्य किया।जा रहा है।
अनः धारा- 177 L.R. 08 के अर्थनापन को धारिण
किया। जाये।

उपरोक्त अर्थनापन में हलका पटवारी
से साका रिपोर्ट जी आई। पटवारी रिपोर्ट अनुसार

आराजी सं. 1240 रकबा 0.07 हेक्टे. पर वर्तमान में
-चने की फसल खड़ी है तथा वादग्रस्त आराजी पर
कटे भी खजरी का स्टॉक नहीं पाया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र में उपलब्ध दस्तोखत
व परवरी रिपोर्ट तथा विपक्षीयों के जवाब पर
समन किया गया। वर्तमान में वादग्रस्त
आराजी सं. 1240 रकबा 0.07 हेक्टे. पर
-चने की फसल है तथा विपक्षीयों इसमें
काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थनापत्र साबित
नहीं हो पाने से प्रार्थनापत्र धारा-177 LR Act
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फसल सुमार लेकर मम्बर से
कम लेकर दाखिल दफ्तर होना

सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर